

प्रेषक,

सूर्य पाल गंगवार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
30प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग

लखनऊ : दिनांक : 14 अगस्त, 2017

विषय : आगरा स्थित भारतीय वायुसेना के एयरपोर्ट पर सिविल एन्क्लेव की स्थापना के निमित्त भूमि क्रय हेतु अवशेष धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-438-40/ए0एस0-38-89/2017, दिनांक 08 अगस्त, 2017 के द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रस्ताव के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आगरा स्थित भारतीय वायुसेना के एयरपोर्ट पर सिविल इन्क्लेव की स्थापना हेतु भूमि क्रय किए जाने हेतु शासनादेश संख्या-42/2016/403/छप्पन-2016-98-2013, दिनांक 20 मई, 2016 द्वारा ₹0 1,53,67,03,990/- (रूपए एक अरब तिरपन करोड़ सड़सठ लाख तीन हजार नौ सौ नब्बे मात्र) पर प्रशासकीय अनुमोदन प्रदान किया गया है। इस प्रशासकीय अनुमोदन के सापेक्ष अब तक कुल धनराशि ₹0 88,73,00,000/- (रूपए अठ्ठासी करोड़ तिहतर लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जा चुकी है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 में आगरा स्थित भारतीय वायुसेना के एयरपोर्ट पर सिविल इन्क्लेव की स्थापना हेतु भूमि क्रय किए जाने हेतु अवशेष धनराशि ₹0 64,94,03,990/- (रूपए चौसठ करोड़ चौरानबे लाख तीन हजार नौ सौ नब्बे मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उक्त स्वीकृत धनराशि ₹0 64,94,03,990/- (रूपए चौसठ करोड़ चौरानबे लाख तीन हजार नौ सौ नब्बे मात्र) को निदेशक, नागरिक उड्डयन, 30प्र0, लखनऊ द्वारा आहरित कर तत्काल जिलाधिकारी, आगरा के निवर्तन पर रखा जायेगा और जिलाधिकारी आगरा द्वारा यथावश्यकता समय-समय पर सम्बन्धित पक्षों को नियमानुसार भुगतान सुनिश्चित किया जायेगा।

3- शासनादेश संख्या-2014/छप्पन-2013-98/2013, दिनांक 09 जनवरी, 2014, शासनादेश संख्या-302/छप्पन-2014-98/2013, दिनांक 04 मार्च, 2014 एवं शासनादेश संख्या-42/2016/403/छप्पन-2016-98/2013, दिनांक 20 मई, 2016, में इंगित नियम/शर्तें यथावत् रहेंगी।

4- उपर्युक्त पर होने वाले व्यय को अनुदान संख्या-38 वित्तीय वर्ष 2017-18 के पूंजीगत लेखा-लेखाशीर्षक "5053-नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय-02-विमान पत्तन-800-अन्य

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

व्यय-20-हवाई पट्टियों के निर्माण, विस्तार एवं सुदृढीकरण तथा भूमि अर्जन-24-वृहद निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

5- यह वित्तीय स्वीकृति वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/10-2017-231/2017, दिनांक 03 अगस्त, 2017 में दिए गए प्राधिकार के अन्तर्गत निर्गत की जा रही है।

भवदीय,

सूर्य पाल गंगवार

विशेष सचिव

पू0सं0 :55/2017/1095(1)/छप्पन-2017-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार-प्रथम (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, इलाहाबाद।
- 2- उप महालेखाकार/ई0एस0-III, आडिट भवन, टीसी-35-वी-1, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-10
- 3- प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 4- मण्डलायुक्त, आगरा मण्डल आगरा।
- 5- जिलाधिकारी, आगरा।
- 6- निदेशक, भूमि अध्याप्ति, राजस्व परिषद, उ0प्र0 लखनऊ।
- 7- नियोजन अनुभाग-4
- 8- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-7
- 9- समीक्षा अधिकारी (बजट)
- 10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी

अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

<http://shasanadesh.up.nic.in>

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
 - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।